

7/6/17 प्रभावली अन्यथा आपके द्वारा कम्प  
कोर्ट दुकोषी से प्राप्त होकर अद्यापत तक  
में पेश हुई।

Not  
Process  
02

वकूलाय उफत।

वकील वादी Not Process करते हैं जो  
वाद्द को आगे चलाना नहीं चाहते हैं तथा  
वाद्द को Not Process में स्वर्शेज करवाना  
चाहते हैं।

अतः वकील वादी का वाद्द Not Process  
में स्वर्शेज किया जाता है प्रभावली फैसल  
शुम्माद होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दखिल  
दफ्तार हो।

सहायक कलक्टर  
(SDO), नागौर